रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 231] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 1981/आषाढ़ 9, 1903
No. 231] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 1981/ASADHA 9, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जून, 1981

सा० का० नि० 417 (अ).—केन्द्रीय सरकार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (1979 का 31) की धारा 32 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा स्तम्भों का निरीक्षण) नियम, 1981 है।

(2) ये उस दिन से ही प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के अधीन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत दिन के रूप में नियत करे।

2. **परिभाषाएं**:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अधिनियम" से हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (1979 का 31) अभिप्रेत है।

(2) "सीमा-स्तंभ" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सीमा-स्तम्भ अभिप्रेत है;

(3) "सीमांकक प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(4) "नियम स्थान" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन सीमांकक अधिकारी द्वारा अवधारित स्थान की अवस्थिति अभिप्रेत है,

(5) "मानचित्र" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन सीमांकक अधिकारी द्वारा तैयार किया मानचित्र अभिप्रेत है।

3 **सीमा स्तम्भों का निरीक्षण**—(1) प्रत्येक वर्ष मानसून के समाप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, किन्तु 30 नवम्बर से पूर्व, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से सीमा-स्तंभों का निरीक्षण किया जाएगा।

(2) इन दोनों राज्य सरकारों के बीच कोई प्रतिकूल करार न होने की दशा में निरीक्षण निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा :—

(क) उन जिलों के कलक्टरों द्वारा जिनकी परिधि में सीमा स्तंभ स्थित हों; या

(ख) ऐसे राजस्व अधिकारियों द्वारा जो डिप्टीकलेक्टर की रैंक से नीचे के अधिकारी न हों और जिन्हें संबंधित कलक्टर द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किया गया हो।

4. **सीमा स्तम्भों का सन्निर्माण और अनुरक्षण**.—(1) यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि किसी सीमा स्तंभ का सन्निर्माण नहीं किया गया है, या वह लुप्त, क्षतिग्रस्त अथवा विस्थापित है तो यथास्थिति, उसका सन्निर्माण, पुनः सन्निर्माण किया जाएगा या उसकी मरम्मत की जाएगी।

(2) यदि कोई नियत स्थान तत्काल-अभिज्ञेय नहीं है तो वह संबंधित कलक्टरों द्वारा नामनिर्देशित इन दोनों राज्य सरकारों के राजस्व अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा पुनः निर्धारित किया जाएगा और इस प्रकार का पुनः निर्धारण मानचित्र में वर्णित निर्देशकों और अन्य विशिष्टियों के आधार पर किया जाएगा।

(3) किसी सीमा-स्तंभ के सन्निर्माण, पुर्नसन्निर्माण या मरम्मत की लागत उस सीमा-स्तंभ के संबंध में मानचित्र पर सीमांकक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

(4) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के होते हुए भी, संबंधित कलक्टर इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि यदि किसी विशेष सीमा स्तंभ का नियत स्थान गहरे पानी मे है या कोई अन्य कारण है, जो लेखबद्ध किया जाएगा, तो उसका सन्निर्माण, पुनः सन्निर्माण करना या उसकी मरम्मत करना आवश्यक नहीं है।

5. **कठिनाई की दशा में महा सर्वेक्षक सहायता करेगा**:—जहां इन नियमों के अधीन सीमा स्तंभों के नियत स्थान का पुनः निर्धारण करने या स्तंभों का सन्निर्माण, पुनः सन्निर्माण और अनुरक्षण करने में या उसके संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, वहां केन्द्रीय सरकार हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारत के महासर्वेक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह नियत स्थान का पुनः निर्धारण करे या सीमास्तंभों के सन्निर्माण, पुनः सन्निर्माण और अरनुक्षण के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी विवादक का विनिश्चय करे।

[(एम-11014(2)/79-एस आर]
के० एन० भनोट, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 1981

G.S.R. 417(E).—In exercise of the powers confered by section 36, read with sub-section (2) of section 32, of the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979 (31 of 1979), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Haryana and Uttar Pradesh (Inspection of Boundary Pillars) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on and from the day which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint as the appointed day under clause (a) of section 2 of the Act.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(1) "Act" means the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979 (31 of 1979) ;

(2) "boundary pillar" means a boundary pillar referred to in sub-section (3) of section 3 of the Act ;

(3) "demarcating authority" means the authority appointed under sub-section (2) of section 3 of the Act ;

(4) "fixed point" means the location of a point determined by the demarcating authority under clause (b) of sub-section (3) of section 3 of the Act for the construction of a boundary pillar ;

(5) "map" means a map prepared by the demarcating authority under sub-section (4) of section 3 of the Act.

3. Inspection of the boundary pillars.—(1) As soon as may be after the monsoon is over, but before the 30th November each years, the boundary pillars shall be inspected jointly by the officers of the State Governments of Haryana and Uttar Pradesh.

(2) In the absence of an agreement to the contrary between the two State Governments, the inspection shall be done—

(a) by the Collectors of the districts on the periphery of which the boundary pillar lies, or

(b) by such revenue officers, being officers not below the rank of Deputy Collectors, as may be nominated in this behalf by the Collector concerned.

4. Construction and maintenance of the boundary pillars.—(1) If during the inspection, any boundary pillar is found not to have been constructed, or to be missing, damaged or displaced, it shall be constructed, reconstructed or repaired, as the case may be.

(2) If any fixed point is not readily identifiable, it shall be relocated by a joint team of revenue officers of the two State Governments nominated by the Collectors concerned, such relocation being done on the basis of the coordinates and other particulars specified in respect of such fixed point in the map.

(3) The cost of constructing, reconstructing or repairing and boundary pillar shall be borne by the State Government specified by the demarcating authority on the map in relation to such pillar.

(4) Notwithstanding the foregoing provisions of this rule, the Collectors concerned may agree look any particular boundry pillar need not be constructed, reconstructed or repaired if the fixed point of such pillar is under deep water or for any other reason, which may be recorded in writing.

5. Suveyor General to assist in case of difficulty.—Where any difficulty arises in or in relation to the relocation of a fixed point or the construction, reconstruction and maintenance of the boundary pillars under these rules, the Central Government may, after consulting the State Governments of Haryana and Uttar Pradesh, require an officer nominated by the Surveyor-General of India to relocate the fixed point or to decide any issue which may arise with regard to the construction, reconstruction and maintenance of the boundary pillars.

[S-11014/2/79-SR]
K. N. BHANOT, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981